प्रेस नोट　　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　　दिनांक 19.03.2025

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र से मोबाइल लूट करने वाले बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 03 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से लूटे हुए 06 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक, 02 अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद।

थाना ट्रॉनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी से मोबाइल लूट करने वाले बाइक सवार बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 बदमाश 1– आफताब पुत्र अली अहमद निवासी कासिम विहार खाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। 2 राशिद पुत्र सुलेमान निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद घायल/गिरफ्तार व 3 आमीर पुत्र सिराजुद्दीन निवासी राजधानी इंक्लेव राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद गिरफ्तार। जिनके कब्जे से लूटे हुए 06 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बाइक एवं 02 अदद अवैध तमंचे 315 बोर जिंदा ब खोखा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 18/03/2025 को थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस द्वारा ठोकर नम्बर 8 पुस्ता रोड के पास चैकिंग के दौरान पुलिस व बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 1-आफताब पुत्र अली अहमद निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद,2- राशिद पुत्र सुलेमान निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। को बाद पुलिस मुठभेड़ पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में व आमिर पुत्र सिराजुद्दीन निवासी राजधानी इंक्लेव राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद। को गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिन पर लूट/चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है और अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.03.2025 को नाली के पानी निकालने को लेकर मारपीट , पथराव व शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार (अब तक कुल 14 अभि0गण को गिरफ्तार किया जा चुका है) ।

दिनांक 11.03.25 को नाली के पानी निकाले को लेकर 02 पक्षो में मारपीट , पथराव एवं फायरिंग हुई थी । जिसमें थाना विजयनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 145/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/125/125(b)/132/109/352/351(2) बीएनएस व धारा 7 आराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम 1932 पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 19.03.25 को पंजीकृत अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1. अब्दुल कलाम उर्फ राजा पुत्र फिदा हुसैन निवासी म0नं0 176 मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. अप्पू उर्फ आफताब पुत्र अकलाख निवासी म0नं0 177 टावर वाली गली मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को हिण्डन बैराज सिद्धार्थ विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अब्दुल कलाम उर्फ राजा पुत्र फिदा हुसैन निवासी म0नं0 176 मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
2. अप्पू उर्फ आफताब पुत्र अकलाख निवासी म0नं0 177 टावर वाली गली मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः –

थाना विजयनगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अवैध कोडीनयुक्त फेन्सीडील कफ सीरप बेचने वाला वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 29.11.2023 को थाना कौशाम्बी पर मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. सरफराज अहमद, 2. युसुफ खान उर्फ गुड्डू व 3. तुफैल चौधरी के कब्जे से प्रतिबन्धित 15,000 बोतल (140 कारटून व 05 प्लास्टिक के कट्टे) कोडीनयुक्त फेन्सीडिल कफ सीरप, 05 मोबाइल फोन, 02 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 02 ड्राइविंग लाइसेंस व 02 वाहन(कार व कैन्टर) बरामद होने के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 8/22/29/37/60 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर तीनों अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उक्त घटना में जाँच करने पर प्रकाश में आये वाँछित 01 अभियुक्त मुशर्रफ खान पुत्र रूस्तम खान मोहल्ला कायस्थान सादात पश्चिमी, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को आज दिनांक 19.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आनन्द बिहार बॉर्डर बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुशर्रफ खान पुत्र रूस्तम खान उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मुशर्रफ खान पुत्र रूस्तम खान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में कि UP 78 CT 7589 कैन्टर मुशरर्फ खान पुत्र रूस्तम खान निवासी शादात पश्चिमी टाऊन, कुन्दरकी, मुरादाबाद की है, जोकि फेन्सीडिल सप्लाई करने की एवज में पचास हजार रूपये प्रतिमाह लेता था और वह जरूरत पड़ने पर इस अवैध व्यापार में आर्थिक मदद भी करता था। पूर्व में पकड़े गए तीनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया था कि उक्त औषधि से सम्बन्धित क्रय-विक्रय बिल व सम्बन्धित औषधि लाइसेन्स के बारे न तो कोई क्रय-विक्रय बिल हैं ना ही कोई लाइसेन्स है। हम इस औषधि को मेरठ से लोड कर पश्चिम बंगाल वाया बिहार पहुंचाते है। जिसके लिये हमें एक से डेढ़ लाख रूपये प्रति चक्कर मिलता है। हमारे द्वारा भगवानपुर से फोम गद्दे भगवानपुर, रूडकी से दिनांक 24.11.2023 को भरवाये थे तथा ई-वे बिल बनवाया था। जिनकी आड में हम यह औषधि आसानी से पश्चिम बंगाल पहुंचा देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुशर्रफ खान पुत्र रूस्तम खान मोहल्ला कायस्थान सादात पश्चिमी, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मुशर्रफ खान पुत्र रूस्तम खान उपरोक्त के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से सम्बन्धित थाना कौशाम्बी 01 अभियोग व थाना कटघर में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।